क्रम-संख्या–7(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 24 जनवरी, 2024

माघ 4, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2

संख्या 01/18-2–2024

लखनऊ, 24 जनवरी, 2024

अधिसूचना

प0आ0–28

चूँकि, सेवायें या प्रसुविधायें या सहायिकी प्रदान करने के पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी परिदान प्रक्रियाएँ सुगम हो जाती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आ जाती है, और लाभार्थी अपनी पहचान साबित करने के लिए बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता से मुक्त होते हुए सुविधाजनक और निर्बाध रीति से सीधे अपना हक प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं;

और, चूँकि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग (जिसे आगे उक्त "विभाग" कहा गया है)। सूक्ष्म उद्यमियों को आकस्मिक दुर्घटना के समय अधिकतम रू० 5 लाख तक की वित्तीय सहायता का उपबंध करने हेतु मुख्य मंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना (जिसे आगे उक्त "योजना" कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है जो उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (जिसे आगे "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" कहा गया है) के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त योजना के अधीन कियान्वयनकर्ता अभिकरण द्वारा विद्यमान योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 18 से 60 वर्ष तक की आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों (जिन्हें आगे उक्त "लाभार्थी" कहा गया है) को आकस्मिक मृत्यु एवं स्थायी अपंगता के मामले में रु० 5 लाख और आंशिक स्थायी अपंगता के मामले में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण–पत्र में विकलांगता प्रतिशत के अनुसार वित्तीय सहायता (जिसे आगे उक्त "प्रसुविधा" कहा गया है) उपलब्ध करायी जाती है;

और, चूँकि, पूर्वोक्त योजना में उत्तर प्रदेश संचित निधि में उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्विष्ट है;

अतएव, अब आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार एतदद्वारा निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:–

1–(1) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से एतदद्वारा आधार संख्या धारित करने का प्रमाण प्रस्तुत करने या आधार अधिप्रमाणन कराने की अपेक्षा की जायेगी।

(2) उक्त योजना के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित न करता हो या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन न किया हो, से उक्त योजना को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करने की अपेक्षा की जायेगी, परन्तु यह कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति को आधार हेतु नामांकित किये जाने के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू०आई०डी०ए०आई०) की वेबसाइट www.uidai.gov.in] पर उपलब्ध सूची पर, जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से ऐसे लाभार्थियों जो अभी तक आधार के लिए नामांकित न हों, के लिए आधार नामांकन सुविधायें प्रदान किये जाने की अपेक्षा की जायेगी और यदि संबन्धित ब्लाक या तालुका या तहसील से कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित न हो तो विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू० आई० डी० ए० आई०) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार होकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधायें प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने के समय तक उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन प्रदान की जायेगी, अर्थातः–

(क) यदि उसने नामांकन किया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थातः–

(एक) फोटोयुक्त बैंक या पोस्ट आफिस पासबुक, या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड, या

(तीन) पासपोर्ट, या

(चार) राशन कार्ड, या

(पाँच) मतदाता पहचान–पत्र, या

(छः) मनरेगा कार्ड, या

(सात) किसान फोटो पासबुक, या

(आठ) मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) के अधीन लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेन्स, या

(नौ) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय पत्र शीर्षक पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटोयुक्त पहचान प्रमाण–पत्र, या

(दस) विभाग द्वारा यथा विर्निदिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परन्तु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच विभाग द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2–उक्त योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग को अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करनी होंगी कि मीडिया के माध्यम से लाभार्थियों के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार, उन्हें उक्त आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए किया जायेगा।

3–समस्त मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन विफल हो जाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थातः–

(क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली (आई० आर० आई० एस०) स्कैन या फेस अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सहज रीति से प्रसुविधायें प्रदान करने के लिए फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन के साथ ही साथ एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैनर या फेस अधिप्रमाणन के लिए उपबन्ध करेगा :

(ख) यदि फिंगरप्रिंट या एकीकृत जोखिम सूचना प्रणाली स्कैन या फेस अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है तो जहाँ कहीं सम्भाव्य और अनुज्ञेय हो, सीमित समय की वैधता के साथ यथास्थिति आधार वन टाइम पासवर्ड या समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जा सकता है;

(ग) अन्य समस्त मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव न हो, वहाँ उक्त योजना के अधीन प्रसुविधायें, ऐसे भौतिक आधार–पत्र के आधार पर दी जा सकती हैं जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार–पत्र पर मुद्रित क्विक रिस्पान्स कोड के माध्यम से सत्यापित की जा

सकती है और क्विक रिस्पान्स कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था, विभाग द्वारा क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जायेगी।

4–उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि उक्त योजना के अधीन कोई वास्तविक लाभार्थी अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय (डी० बी० टी० मिशन), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या डी–26011/04/2017–डीबीटी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में यथा रेखांकित अपवाद हैण्डलिंग तंत्र का अनुसरण करेगा।

5–यह अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/XVIII-2–2024, dated January 24, 2024 :

No. 01/XVIII-2–2024

Dated Lucknow, January 24, 2024

WHEREAS, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

AND, WHEREAS, the Department of Micro; Small, Medium Enterprises and Exports Promotion (hereinafter referred to as the "Department"), is administering the "Mukhyamantri Sukshm Udyami Durghatna Beema Yojna" (hereinafter referred to as the "Scheme") to provide financial support of maximum Rs. 5 lakh at the time of accidental case of Micro Entrepreneur, which is being implemented through the Directorate of Industries and Enterprise Promotion (hereinafter referred to as the "Implementing Agency");

AND, WHEREAS, under the aforesaid Scheme, a financial support of Rs. 5 lakh in case of accidental death, permanent disability and in case of partial permanent disability financial support is given according to the disability percentage on disability certificate issued by Chief Medical Officer (hereinafter referred to as the "benefit") is given to the Micro Category Entrepreneurs aged above 18 to 60 years (hereinafter referred to as the "beneficiaries"), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

AND, WHEREAS, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Uttar Pradesh;

NOW, THEREFORE, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act"), the Government of Uttar Pradesh hereby notifies the following namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication,

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrollment centre [list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrollment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrollment facilities for the